

प्रेषक,

विजय कुमार यादव, .
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग-०३

विषय: जनपद-बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.85 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2666/FP/UK/ROAD/10151/2015, दिनांक 17 अप्रैल, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश संख्या-599/X-4-15/1(354)/2015, दिनांक 29.07.2015 में अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.85 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.70 हेठो सिविल सोयम भूमि में वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(I) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष में स्पूटेशन की गयी उक्त भूमि को छ: माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तर्दर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथारिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।

7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े रथानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में प्रस्वावित परियोजना/सङ्केत के दोनों किनारों तथा Central Verge पर Strip Plantation किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
11. मा० उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कटाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित रथल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से सङ्केत निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट रथलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा रथान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण रथलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
18. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
19. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त रथानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा

की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

- प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing अंकित किया जाय।
 - प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

मनवदीय,
(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या: १ (1)/X-3-21/1(354)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव मार्ग वन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
 2. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 3. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 5. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
 6. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
 7. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
 8. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, बागेश्वर।
 9. जिला पंचायत अध्यक्ष, बागेश्वर।
 10. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।